न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः प्रज्ञा केवलरमानी, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 24 / 2024 अपील (GCMS 2024/30)
पंजीयन दिनांक – 30 / 05 / 2024
निर्णय दिनांक – 29 / 12 / 2025

1. श्रीमती भंवरी पुत्री भगा डांगी, निवासी एकलिंगपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
2. श्रीमती वरदी पत्नी भगा डांगी, निवासी एकलिंगपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (नाम विलोपित आदेश दिनांक 18.11.2025)

–अपीलांट्स

बनाम

1. श्री मांगीलाल पिता स्व. धुलाजी डांगी, निवासी रेल्वे पुलिया के पास, एकलिंगपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
2. श्री रमेश पिता स्व. धुलाजी डांगी, निवासी रेल्वे पुलिया के पास, एकलिंगपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
3. दुर्गा उर्फ दिव्या पिता स्व. धुलाजी डांगी, निवासी रेल्वे पुलिया के पास, एकलिंगपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
4. लक्ष्मी पिता स्व. धुलाजी डांगी, निवासी रेल्वे पुलिया के पास, एकलिंगपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
5. गेन्दीबाई पिता स्व. धुलाजी डांगी, पत्नी तुलसा, निवासी रेल्वे पुलिया के पास, एकलिंगपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
6. श्री कमल पिता देवा डांगी, निवासी झामर कोटडा, मेनरोड़, एकलिंगपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
7. श्री वेणीराम पिता देवा डांगी, निवासी झामर कोटडा, मेनरोड़, एकलिंगपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
8. श्री नारायण पिता देवा डांगी, निवासी झामर कोटडा, मेनरोड़, एकलिंगपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
9. श्री हीरालाल पिता देवा डांगी, निवासी झामर कोटडा, मेनरोड़, एकलिंगपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
10. मु. उकारी पत्नी देवा डांगी, निवासी झामर कोटडा, मेनरोड़, एकलिंगपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
11. श्री कैलाश पिता किशनलाल डांगी, निवासी झामर कोटडा, मेनरोड़, एकलिंगपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

– रेस्पोडेंट्स

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

उपस्थितिः–

1. श्री मनीष शर्मा – वकील अपीलांट

अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा के प्रकरण संख्या 75/2021 (प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट) निर्णय दिनांक 05.02.2024

निर्णय

दिनांकः 29/12/2025

अपीलांट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा के प्रकरण संख्या 75/2021 (प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट) निर्णय दिनांक 05.02.2024 के विरूद्ध पेश की गयी।

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पक्षकारान के खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम एकलिंगपुरा, तहसील गिर्वा में स्थित है जिनकी सीमाएं आपस में लगी हुई है भूमि की सीमाओं को लेकर पक्षकारान के मध्य आये दिन विवाद उत्पन्न होता है जिससे रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा में पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद सुनवाई दिनांक 05.02.2024 को पक्षकारान की मौजूदगी में इनकी कृषि भूमि का राजस्व नक्शा अनुसार सीमांकन कर पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया। इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

मयाद के बिन्दु पर आपत्ति रिजर्व रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से विद्वान वकील अपीलांट की बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई।

विद्वान वकील अपीलांट ने बताया कि अपीलांट वरदी लगभग 102 वर्ष की होकर भंवरी उसकी पुत्री है जो सेवा करती है। वकील

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

से सम्पर्क नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का ज्ञान समय पर नहीं हो सका। जानकारी होते ही समय पर अपील पेश कर दी गई, जानबूझ कर देरी नहीं की गई जिससे अपील पेश करने में हुई देरी को माफकर अपील मयाद में शुमार करने हेतु निवेदन किया। गुणावगुण पर बहस करते हुए तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय ने केवल पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र एवं जमाबंदी की नकल को देखकर निर्णय पारित किया, जो विधि विरूद्ध है। न्यायालय ने न तो राजस्व नक्शे को देखा न तहसीलदार से कोई रिपोर्ट प्राप्त की, न ही कोई साक्ष्य सबूत ही लिये और निर्णय पारित कर दिया। यह भी बताया कि आराजी नम्बर 693 व 694 के संबंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी में ही स्थाई निषेधाज्ञा का नियमित वाद प्रकरण संख्या 54/2021 विचाराधीन है जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। इसके अलावा सभी संबंधित खातेदारों को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है। अपीलांट की भूमि पर मकान बना हुआ है। खसरा नम्बरों के साबिक व हाल नम्बरों की तरमीम भी गलत की हुई है। विद्वान वकील ने यह भी बताया कि दिनांक 30.05.2024 को भू.अभिलेख निरीक्षक व पटवारी व अन्य लोग ईटीएस मशीन लेकर मौके पर आ गये और पत्थरगढ़ी के बहाने अपीलांट के बाड़े की दीवार, ट्यूबवेल, टीनशेड तोड़ दिये। अपीलांट द्वारा एतराज करने एवं मौतबिरान के आ जाने पर पुलिस को सूचना दी गई तो सभी कार्मिक भाग गये। इसके विरूद्ध एफ.आई.आर. संख्या 291/2021 दर्ज की जाकर न्यायालय में आरोप पत्र भी पेश हुए। बाद में पला चला कि इन लोगों के पास कोई आदेश नहीं था। यह फर्जी लोग थे जिनके साथ राजस्व कार्मिक लग गये बाद में इसकी शिकायत भी की गई। अन्त में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पूर्णतया न्यायिक सिद्धान्तों एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है जिससे अपील स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय संभागीय आयुक्त उदयपुर

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

हमने विद्वान वकील अपीलांट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अपील के साथ अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 05 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र संलग्न किया, जिस पर मनन उपरान्त उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर न्यायहित में प्रस्तुत अपील में मयाद कन्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा के आदेश दिनांक 05.02.2024 का अवलोकन करने पर पाया जाता है कि आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत पत्थरगढ़ी संबंधी प्रार्थना पत्र का निस्तारण जमाबंदी के इन्द्राज के आधार पर किया गया है, जबकि पक्षकारान से संबंध इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा संबंधी वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा के समक्ष तत्समय लम्बित था, इससे संबद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण संख्या 50/2021 में दिनांक 05.02.2024 को ही आगामी पेशी तारीख 02.04.2024 व पुनः 20.05.2024 प्रदत्त की गई। यह भी उल्लेखित है कि लम्बित प्रकरण में दिनांक 02.03.2021 को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा श्री तुलसीराम के वारिसान श्री मांगीलाल व श्री रमेश को पाबन्द किए जाने के बावजूद मूल प्रकरण के जैर कार्यवाही दौरान उनके द्वारा पत्थरगढ़ी की संक्षिप्त कार्यवाही में परोक्ष रूप से अनुतोष प्राप्त किए जाने की चेष्टा की गई। इस क्रम में उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा के समक्ष मूल वाद के वादीगण श्री भग्गाजी के वारिसान द्वारा दिनांक 01.01.2022 को नक्शा त्रुटि दुरूस्ती का भी आवेदन प्रस्तुत किया गया जो अभिलेख पर उपलब्ध होकर इसकी अद्यतन प्रगति भी उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा तहसीलदार, गिर्वा से दिनांक 30.05.2024 को चाही गई है।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में पक्षकारान के मध्य वाद लम्बित रहते हुए पत्थरगढ़ी की संक्षिप्त कार्यवाही में जमाबंदी के इन्द्राज के आधार पर आदेशित कार्यवाही पोषणीय नहीं है। अतः अपील आंशिक स्वीकार की जाकर उपखण्ड

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

अधिकारी, गिर्वा द्वारा पारित पत्थरगढ़ी संबंधी आदेश दिनांक 05.02.2024 निरस्त किया जाता है। इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा से संबंधित वाद के अन्तिम निस्तारण पर तदनुसार पत्थरगढ़ी संबंधी कार्यवाही हो सकेगी।

(प्रज्ञा केवलरमानी)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर

निर्णय आज दिनांक 29.12.2025 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रज्ञा केवलरमानी)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर